**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 322**

**बुधवार, 06 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति का प्रारूप तैयार करने**

**के लिए विशेष कार्य-बल**

**322 श्री संजय सिंहः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेष कार्य-बल गठित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

,

(ख) यदि हां, तो कृत्तिक बल की बैठकों और चर्चाओं का कार्यवृत्त-वार ब्यौरा तथा कार्यसूची क्या है; और

(ग) क्या इस कार्य-बल में नागरिक समाज से किसी सदस्य को शामिल किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर.चौधरी)**

**(क) और (ख):** वाणिज्‍य विभाग द्वारा ‘ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति हेतु फ्रेमवर्क’ के संबंध में एक विचारक समूह का गठन किया गया था और ई-कॉमर्स पर भारत की राष्‍ट्रीय नीति हेतु संस्‍तुतियां तैयार करने के लिए इस विचारक समूह के अधीन एक कार्यबल का गठन किया गया था। इस विचारक समूह को बाद में कई उप-समूहों में उप-विभाजित किया गया। इन उप-समूहों की 20-22 जून, 2018 को बैठक हुई और सीमा-पार डेटा प्रवाह, कराधान, व्‍यापार सुविधा और लॉजिस्टिक्‍स, उपभोक्‍ता विश्‍वास, बौद्धिक संपदा अधिकार और भावी प्रौद्योगिकी; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा प्रतिस्‍पर्धा आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस कार्यबल ने अपनी बैठक में परस्‍पर मुद्दों पर विचार किया। ई-कॉमर्स के विभिन्न पहलुओं में शामिल मंत्रालयों/विभागों से भागीदारी के लिए कार्यबल की बैठक करने हेतु अनुरोध किया गया था ताकि वे उप-समूह बैठकों में मसौदा सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकें। कार्यबल और उप-समूहों के विचार-विमर्श को उप-समूह रिपोर्टों में सार रूप में शामिल किया गया था, जिसे आगे की सिफारिशों के मसौदे में शामिल किया जाएगा।

**(ग):** इस कार्य बल में सरकार, उद्योग और विशिष्‍ट क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व शामिल था।

\*\*\*\*\*